कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, कैमूर
निविदा आमंत्रण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.11 मे निहित निदेश के आलोक में कैमूर जिला अन्तर्गत प्रखण्ड रामपुर के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राज्य खाद्य निगम के गोदाम से निर्धारित मात्रा में चावल उठाकर विद्यालय के स्टोर रूम तक पहुँचाने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। अधोलिखित शर्तो के अधीन मुहरबंद निविदा दिनाक 30.06.17 तक संध्या 5:00 बजे तक कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, कैमूर (समाहरणालय परिसर स्थित जिला परिषद् भवन) में निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किये जायेगें। संवेदक चयन समिति के समक्ष दिनांक 04.07.17 को पूर्वाह्न 11:00(ग्यारह) बजे जिला पदाधिकारी, कैमूर के सभाकक्ष में आवेदक/निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

आवेदन/निविदा की शर्ते निम्नवत हैं:–

1. प्रखण्ड रामपुर हेतु कम से कम 5 ट्रैक्टर/ट्रक मालिकों (जिसका ऑनर बुक, रोड टैक्स, टैक्स टोकन, फिटनेस/प्रदूषण, इंश्योरेंस, राज्य परमिट अद्यतन हो) के मालिकों के इस आशय का लिखित पृथक–पृथक एकरारनामा (1000 रू0 के नन–जुडिसियल स्टॉम्प दोनों पक्षों में से किसी एक के नाम पर क्रय किया गया हो, पर एक–एक गवाह के पूर्ण विवरण के साथ मोबाईल नम्बर) प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/ट्रक को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान के उठाव हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। एकरारनामा के स्थान पर शपथ –पत्र संलग्न होने पर आवेदन स्वतः रद्द माना जायेगा।
2. वाहन में ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली, ट्रक, पिकअप वैन, जीप, टाटा मैजिक आदि मालवाहक वाहन का व्यवसायिक निबंधन एवं सभी प्रकार का टैक्स अद्यतन हो, का ही एकरारनामा करायेगें।
3. वाहन मालिक से एकरारनामा किसी एक ही निविदादाता के साथ मान्य होगा। एक से अधिक निविदादाता के साथ एकरारनामा की स्थिति मे दोनों पक्ष के निविदाता का एकरारनामा रद्द माना जायेगा।
4. आवेदक को इस आशय का लिखित एकरारनामा भी प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे इलेक्ट्रानिक वजन मशीन के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का चावल का प्रत्येक बोरा तौलकर विद्यालय को उपलब्ध करायेगें।
5. आवेदक को आवेदन के साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, पैन कार्ड (आवेदति न हो) एवं वोटर पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से निविदा स्वीकार्य नही होगा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नहीं होने के विरूद्ध स्वयं शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. संवेदक को 50000/– (पचास हजार) रुपये का बैंक गारण्टी, बैंक प्रमाण–पत्र के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, कैमूर के पक्ष मे जमा करना होगा।
7. संवेदक को आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो, की मूल प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।
8. संवेदक को 10000/– (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, कैमूर के नाम से हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
9. लिफाफा के उपर स्पष्ट रूप से प्रखण्ड का नाम अंकित होगा।
10. चावल का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधन सेवी एवं सवेदक संयुक्त रुप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सवेदक की होगी। अन्यत्र स्थान पर चावल भण्डारण किसी भी परिस्थिति मे नही किया जायेगा। इसमे प्रयुक्त होने वाले वाहन, इंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि संवेदक द्वारा की जायेगी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर द्वारा निर्गत S.I.O. के अधार पर प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान का उठाव करेंगे। उठाव किये गये खाद्यान्न का वितरण उसी दिन करना अनिवार्य होगा। वितरण सूची का सत्यापन प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा किया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रखण्ड के विद्यालयों में खाद्यान्न की प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने व खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का प्रमाण–प्रत्र से सत्यापन करने के उपरान्त परिवहन–सह–हथालन मद मे 40/ रु0 प्रति क्विंटल की दर सवेदक को राशि का भुगतान माह की 27वी तारीख तक किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में एस0एफ0सी0 गोदाम से 2:00 बजे अपराह्न के पश्चात् चावल का उठाव नही होगा।
11. चयनित निविदादाता को खाद्यान्न की ढुलाई हेतु केवल उसी वाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसका एकरारनामा निविदा के साथ निविदाता के द्वारा दिया गया है, ढुलाई हेतु प्रयुक्त वहानो पर मध्याह्न भोजन योजना, कैमूर लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से प्रखण्ड साधन सेवी का मोबाईल नं0 एवं कार्यालय का दूरभाष नं0 भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।
12. सवेदक को उठाव के दिन उठाये गये खाद्यान्न एवं वितरण की सूचना SMS एवं दूरभाष के माध्यम से जिला कार्यालय को सूचित करना होगा। माह के अंतिम तिथि का वितरण सूची कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
13. एकरारनामा 31.03.2018 तक के लिए किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है। उठाव में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दण्ड लगाते हुये सुरिक्षित जमा राशि (10000.00 रू0) तथा बैंक गारंटी (50000.00 रू0) जब्त कर ली जायेगी।
14. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान पहुंचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।

15. निविदादाता का एक से अधिक निविदा (पत्नी/पिता/पुत्र के नाम) पाये जाने की स्थिति मे निविदात्ता के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
16. समान अहर्ता पूर्ण करने वाले एक से अधिक निविदा प्राप्त होने की स्थिति में कैमूर जिला के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी तथा लॉटरी पद्धति से संवेदक का चयन किया जायेगा।
17. संवेदक चयन हेतु निविदा की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार एवं अंतिम निर्णय जिला पदाधिकारी कैमूर–सह–अध्यक्ष, संवेदक चयन समिति का होगा।
18. विशेष जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में **कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, कैमूर** से जानकारी ली जा सकती है।
19. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. निविदा खोलते समय सभी प्रकार के कागजात मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
21. निविदा खुलने के समय एकरारनामा की गयी वाहनों, जिसका कागजात निविदा में दिया गया है। उन वाहन का सभी कागजात (यथा– ऑनर बुक, रोड टैक्स, टैक्स टोकन, फिटनेस/प्रदूषण, इंश्योरेंस, राज्य परमिट) की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। एकरारनामा की गयी वाहन का मूल कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर उस वाहन को मान्यता नहीं दिया जायेगा। मूल कागजात प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
22. निविदा का प्रारूप जिला के वेबसाईट **www.kaimur.bih.nic.in** पर डाला गया है, जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड किया जा सकता है।

संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट **www.prdbihar.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना, कैमूर	जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर (भभुआ)	जिला पदाधिकारी कैमूर (भभुआ)